बिहार सरकार
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(आपदा प्रबंधन विभाग)
द्वितीय तल, पंत भवन, पटना–800001

आउटसोर्सिंग के आधार पर सुरक्षा प्रहरी (गार्ड) की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निविदा
आमंत्रण सूचना

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना में आउटसोर्सिंग के आधार पर 05 (पाँच) सुरक्षा प्रहरी (गार्ड) की सेवा उपलब्ध कराने हेतु वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त एजेन्सी/अभिकरणों से मुहरबन्द निविदा दिनांक–**15.12.2016 के अपराह्न 5:00 बजे** तक आमंत्रित की जाती है।

बिहार सरकार, गृह विशेष विभाग, पटना के पत्रांक–8809 दिनांक–11.08.2015 के आलोक में सुरक्षा एजेन्सी/सुरक्षा अभिकरण को सुरक्षा प्रहरी की सेवा उपलब्ध करानी है।

टंकित निविदा दो अलग–अलग लिफाफों में होगी, जिसमें एक लिफाफा पर **"तकनीकी निविदा लिफाफा–A"** एवं दूसरे लिफाफा पर **"वित्तीय निविदा लिफाफा–B"** अंकित रहेगी। दोनों लिफाफों को एक तीसरे बड़े लिफाफे में मुहरबन्द कर प्रेषित करनी होगी।

तकनीकी निविदा लिफाफा–A में निम्नांकित कागजात की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है–

1. एजेन्सी/अभिकरण के पास नियंत्री पदाधिकारी–सह–विशेष सचिव, गृह विशेष विभाग बिहार, पटना के द्वारा निर्गत वैध अनुज्ञप्ति हो। अनुज्ञप्ति की वैधता तीन वर्षों के लिए होती है। अनुज्ञप्ति में यह भी उल्लिखित हो कि अभिकरण को पटना जिला में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। अनुज्ञप्ति की छायाप्रति संलग्न होनी चाहिए।
2. न्यूनतम तीन सरकारी संस्थानों में सुरक्षा प्रहरी का संतोषप्रद कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र।
3. निबंधन प्रमाण पत्र, अद्यतन आय कर कटौती प्रमाण पत्र, सेवा कर कटौती प्रमाण–पत्र एवं पैन कार्ड की छायाप्रति।
4. रू 10,000 (दस हजार रूपये मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट, जो अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के नाम से देय एवं भारतीय स्टेट बैंक, श्री कृष्णपुरी शाखा, पटना में भुगतेय हो, संलग्न रहना अनिवार्य हो।
5. एजेन्सी/अभिकरण काली सूची में दर्ज नहीं है एवं किसी प्रकार का कोई भी मामला न्यायालय में लम्बित नहीं है, इस आशय का शपथ प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
6. एजेन्सी/अभिकरण के लिए यह अनिवार्य है कि वह भारतीय सशस्त्र सेवाओं/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से सेवानिवृत कर्मियों, जिनकी अधिकतम उम्र 62 वर्ष से अधिक न हो, की सेवाएँ उपलब्ध कराये।
7. उपलब्ध कराये गये कर्मियों से सुरक्षा प्रहरी के कार्य के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार कार्यालय परिचारी का भी कार्य लिया जा सकता है।
8. **वित्तीय निविदा लिफाफा–B** में कर्मियों के भुगतान की दरें, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के आलोक में न्यूनतम मजदूरी, EPF आदि के साथ प्रति सुरक्षा कर्मी, प्रतिदिन/प्रति माह के भुगतेय पारिश्रमिक का उल्लेख अवश्य हो।

दोनों लिफाफों को मुहरबन्द कर एक बड़े लिफाफे में मुहरबन्द कर निविदा सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, द्वितीय तल, पंत भवन, पटना–800001 के पते पर निबंधित डाक, स्पीड पोस्ट, कुरियर द्वारा **दिनांक–15.12.2016 के अपराह्न 5:00 बजे तक** निश्चित रूप से पहुँच जानी चाहिए। विलंब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा। प्राप्त सभी निविदाओं को अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में दिनांक–19.12.2016 के अपराह्न 1:00 बजे चयन समिति के समक्ष खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। समिति द्वारा चयनित एजेन्सी/अभिकरण को नियमानुसार कार्यादेश निर्गत किया जायेगा। सेवा उपलब्ध कराये गये कर्मी की सेवाएँ संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय उन्हें आवंटित कार्य से मुक्त किया जा सकेगा और उसका Replacement एजेन्सी/अभिकरण को तुरन्त उपलब्ध कराना होगा।

किसी भी समय निविदा को रद्द/संशोधित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है, जिसके लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।

विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस के कार्यअवधि में प्राधिकरण के कार्यालय से प्राप्त अथवा प्राधिकरण के **बेवसाईट www.bsdma.org** पर देखा जा सकता है।

सचिव 30/11/2016
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

Bi/pp/bsdma